

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 642 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 31 / 08 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### /// विरुद्ध ///

01. जयकुमार उर्फ जैकी पुत्र कमल सिंह यादव, उम्र 27 वर्ष।

02. राहुल उर्फ रामभरोसे पुत्र नरेश सिंह यादव, उम्र 21 वर्ष।

निवासीगण :- ग्राम लुहारपुरा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

### /// निर्णय ///

( आज दिनांक : 12 / 01 / 2018 को घोषित )

01. आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे पर धारा 332 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 31 / 07 / 2015 को शाम लगभग 04:00 बजे आरोपी जैकी यादव के घर के सामने आम रास्ता स्थित लुहारपुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी लोकसेवक आरक्षक क्रमांक 915 भीकम सिंह, जो कि उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे, की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 31 / 07 / 2015 को शाम लगभग 04:00 बजे थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 915 भीकम सिंह, एसआई अवनीश शर्मा, आरक्षक गौरव, प्रधान आरक्षक सुल्तान सिंह के साथ आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार को तलाशने उसके घर गये थे। जब फोर्स द्वारा आरोपी जैकी को तलाश किया तो उसका चचेरा भाई रामभरोसे उर्फ राहुल लाठी लेकर आ गया और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके घर में आने की, तब एसआई अवनीश शर्मा ने कहा कि उसकी अपराध में गिरफ्तारी होना है, उसी समय जैकी यादव भी पीछे से लाठी लेकर आया और फरियादी भीकम सिंह के बाये हाथ के पंजा में लाठी मारी दी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी भीकम सिंह द्वारा, थाना मौ में आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे के विरुद्ध की जाने पर, थाना मौ में उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 189 / 15 अन्तर्गत धारा 353, 186 एवं 332 सहपठित

धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी भीकम सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 02/08/2015 को अंकित किये गये। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपीगण के आधिपत्य से दिनांक : 02/08/2015 को एक-एक बांस की लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। विवेचना के दौरान फरियादी भीकम सिंह, साक्षी श्याम सिंह, सुल्तान सिंह, आरक्षक गौरव एवं अवनीश शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये और विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे के विरुद्ध धारा 332 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे ने दिनांक :- 31/07/2015 को शाम लगभग 04:00 बजे आरोपी जैकी यादव के घर के सामने आम रास्ता स्थित लुहारपुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी लोकसेवक आरक्षक क्रमांक 915 भीकम सिंह, जो कि उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे, की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### **सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**

07. फरियादी भीकम अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह राहुल एवं जैकी उर्फ जयकिशन को जानता है। घटना दिनांक : 31/07/2015 की शाम लगभग 04 बजे के बाद की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी जयकुमार का अपराध क्रमांक 188/2015 में वारंट था। वह, एसआई अवनीश शर्मा के साथ प्रधान आरक्षक सुल्तान, आरक्षक गौरव,

श्याम के साथ आरोपी जयकुमार को तलाशने उसके घर गया था, वहाँ पर जैकी नहीं मिला, उसका भाई रामभरोसे मिला। साक्षी आगे कहता है कि उसने रामभरोसे से पूछा कि आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार कहा है, आरोपी रामभरोसे लाठी लेकर आ गया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ आने की। साक्षी आगे कहता है कि इतने में पीछे से जैकी आ गया, उसने पीछे से उसके लाठी मार दी, जो बाये हाथ के कंधे में लगी। लाठी मारने के बाद दोनों आरोपीगण वहाँ से भाग गये। साक्षी आगे कहता है कि वह उस समय शासकीय कार्य कर रहा था और आरोपीगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई गई थी। थाने लौटकर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। द टनास्थल का नक्शा-मौका उसके सामने पाल साहब ने बनाया था, जो प्र.पी. 02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी श्याम सिंह अ.सा.03, सुल्तान अ.सा.04 एवं गौरव अ.सा.05 ने सारतः भीकम अ.सा.01 जैसे ही मुख्य परीक्षण कथन किये हैं।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में भीकम अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी के घर जाकर किसी अपराध क्रमांक में आरोपी जैकी को तलाशने वाली बात आरोपी राहुल उर्फ रामभरोसे को बताई थी। यदि उक्त बात रिपोर्ट प्र.पी.01 में ना लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में पुलिस बल के किसी अपराध क्रमांक में आरोपी जयकुमार को तलाश करने के लिए उसके घर जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

09. भीकम अ.सा.01 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी रामभरोसे ने उसे कोई चोट नहीं पहुँचाई। जबकि कथित चक्षुदर्शी साक्षी आरक्षक श्याम अ.सा.03 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि झगड़े के समय दोनों आरोपीगण के हाथ में लाठियाँ थी और दोनों आरोपीगण द्वारा भीकम अ.सा.01 को चोट कारित की गई थी। जबकि कथित चक्षुदर्शी साक्षी सुल्तान अ.सा.04 एवं आरक्षक गौरव अ.सा.05 का उनके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि आरोपी जयकुमार द्वारा भीकम को एक लाठी की चोट कारित की गई थी, दोनों आरोपीगण द्वारा भीकम को लाठियाँ नहीं मारी गई थी। इस प्रकार भीकम अ.सा.01 को आरोपी जयकुमार एवं राहुल दोनों द्वारा लाठिया मारी गई थी, अथवा केवल जयकुमार द्वारा, इस वावत् भीकम अ. सा.01, श्याम सिंह अ.सा.03, सुल्तान अ.सा.04 एवं आरक्षक गौरव अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि आरोपी रामभरोसे द्वारा भीकम को लाठी मारी गई थी।

10. भीकम अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार आरोपी जैकी द्वारा उसके बाये हाथ के कंधे पर लाठी मारी गई थी। जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी जयकुमार द्वारा उसके बाये हाथ के पंजे में लाठी मारकर केवल एक मुंदी चोट कारित करने का उल्लेख है। इस प्रकार इस वावत् भीकम अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। उल्लेखनीय है कि भीकम अ.सा.01 द्वारा घटना में उसके बाये कंधे पर केवल एक चोट कारित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि डॉ.महेन्द्र राठौर द्वारा इस वावत् तैयार की गई उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.03 में भीकम के बाये कंधे पर दर्द, सूजन एवं खरोंच तथा बाये हाथ की बीच वाली उंगली में 01 गुणा 01 गुणा 01 से.मी. का फटा हुआ घाव होना दर्शित किया है। इस प्रकार आरोपित घटना में फरियादी भीकम अ.सा.01 को कारित चोटों की संख्या, स्थान एवं चोट के स्वरूप के संबंध में फरियादी भीकम अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

11. उल्लेखनीय है कि फरियादी भीकम अ.सा.01 आरोपित घटना में उसके बाये कंधे पर चोट होना बताता है, जबकि कथित चक्षुदर्शी साक्षी आरक्षक श्याम अ.सा.03 एवं सुल्तान अ.सा.04 उसके बाये हाथ के पंजे पर, अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी गौरव कटारे अ.सा.05 पहले भीकम के बाये हाथ के कंधे पर, फिर बाये हाथ के पंजे पर चोट कारित होना दर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार आरोपित घटना में फरियादी भीकम अ.सा.01 को कारित चोट के स्थान के संबंध में, भीकम अ.सा.01, श्याम अ.सा.03, सुल्तान अ.सा.04 एवं गौरव अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

12. अभियोजन साक्षी बलवीर अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 31/07/2015 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी भीकम सिंह द्वारा थाना आकर आरोपी रामभरोसे एवं जैकी उर्फ जयकुमार के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं मारपीट करने की रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 189/2015 अन्तर्गत धारा 353, 332, 186 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् केस डायरी विवेचना हेतु एसआई पाल को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बलवीर अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि फरियादी भीकम अ.सा.01 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध किये जाते समय उसे यह नहीं बताया था कि वह किस रोजनामचा सान्हा में रवानगी दर्ज कर ड्यूटी करने गया था। उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा प्रकरण में ऐसे किसी रवानगी रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रति अथवा छायाप्रति

प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि जिसके अनुसार पुलिसकर्मी फरियादी भीकम अ.सा.01 एवं अन्य किसी अपराध क्रमांक में आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार की तलाश में उसके घर की ओर गये। इस प्रकार यह तथ्य आरोपित घटना के समय घटनास्थल पर उक्त पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

13. साक्षी पी.आर.एस.पाल अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 31/07/2015 को पुलिस थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 189/2015 अन्तर्गत धारा 353, 332 एवं 186 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक : 05/08/2015 को भीकम के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 02/08/2015 को फरियादी भीकम एवं साक्षी श्याम सिंह के एवं दिनांक : 03/08/2015 को सुल्तान सिंह, दिनांक : 10/08/2015 को गौरव शर्मा के एवं दिनांक : 15/08/2015 को एसआई अवनीश शर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 02/08/2015 को आरोपी राहुल उर्फ रामभरोसे एवं जैकी उर्फ जयकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 बनाये थे, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लेखबद्ध किये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छया बताया था कि "उसने दिनांक : 31/07/2015 को आरक्षक भीकम की मारपीट जिस लाठी से अपने साथी रामभरोसे के साथ की थी, वह लाठी उसने अपने मकान के पिछवाड़े में छिपाकर रख दी है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ, उक्त मैमोरेण्डम प्र.पी.06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी रामभरोसे उर्फ राहुल का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन लेने पर साक्षी ने स्वेच्छया बताया था कि "उसने अपने भाई जैकी के साथ मिलकर आरक्षक भीकम की जो मारपीट कर जो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी, वह लाठी उसने अपने घर के बाहर के कमरे में रखी है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ, उक्त मैमोरेण्डम प्र. पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. साक्षी पी.आर.एस.पाल अ.सा.07 उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के मकान के पिछवाड़े से एक बांस की लाठी आरोपी द्वारा लाकर पेश करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी राहुल उर्फ रामभरोसे द्वारा उसके घर मौ लौहारपुरा से एक लाठी पेश करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 31/07/2015 को मौ आरक्षक भीकम सिंह, गौरव शर्मा एवं श्याम सिंह अपने कर्तव्य पर उपस्थित थे तथा अपराध क्रमांक 188/2015 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं के आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम लौहारपुरा के लिए रवाना किया था, इस संबंध में उसके द्वारा थाना प्रभारी शेर सिंह से लिया गया कर्तव्य प्रमाण-पत्र प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर थाना प्रभारी शेर सिंह के हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने शेर सिंह के अधीनस्थ कार्य किया है, इसलिए उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलेख को पहचानता है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

15. विवेचक पी.आर.एस.पाल अ.सा.07 द्वारा उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि कर्तव्य प्रमाण-पत्र प्र.पी.11 का दस्तावेज उसके सामने लिखा अथवा टी.आई.शेर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया। वैसे भी फरियादी भीकम एवं अन्य पुलिसकर्मियों की आरोपित घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए कर्तव्य प्रमाण-पत्र प्र.पी.11 से बेहतर दस्तावेज संबंधित रवानगी रोजनामचा सान्हा होता, जो कि विवेचक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपित घटना के समय फरियादी भीकम अ.सा.01 एवं अन्य पुलिसकर्मियों के घटनास्थल पर उपस्थित होने, दोनों आरोपीगण द्वारा फरियादी भीकम अ.सा.01 की लाठियों से मारपीट करने एवं उक्त मारपीट में फरियादी भीकम अ.सा.01 को कंधे एवं पंजे में दो चोटें कारित होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभास पूर्ण होने के कारण संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे ने दिनांक :- 31/07/2015 को शाम लगभग 04:00 बजे आरोपी जैकी यादव के घर के सामने आम रास्ता स्थित लुहारपुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी लोकसेवक आरक्षक क्रमांक 915 भीकम सिंह, जो कि उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे, की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

### **अंतिम निष्कर्ष**

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे के विरुद्ध धारा 332 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे को भा.द.सं. की धारा 332 के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

18. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
19. आरोपीगण द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
20. प्रकरण में आरोपीगण जयकुमार उर्फ जैकी एवं राहुल उर्फ रामभरोसे से जब्तशुदा एक-एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद